App-A
Crim-1

FORM NO - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

इस अदालत सहायक कलेक्टर (SDO) सिरोही मुकाम

प्रार्थी — प्रतिप्रार्थीगण

रमेश कुमार — बनाम हरीराम व अन्य

किस्म मुकदमा — प्रकरण उपधारा 251 (क) R-T Act — प्रकरण सं. 46/2018

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19-8-19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा उप/वकील प्रतिप्रार्थी प्रकरण आदेश 10 सीपीसी व प्रकरण आदेश 01 नि० 10 सीपीसी के जवाब हेतु समय चाहने से व्यवहित में समय दिया जाता है। पत्रावली उक्त प्रकरणों के जवाब हेतु दिनांक 30-9-19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सिरोही (राज.) 307001	
13-9-2019	पत्रावली अंगारेश पेश हुई। वकील प्रार्थी ने हलफिया बयान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 (क) R-T Act को विद्युत अध्य साईट रिजर्व रखते हुये विड्रो किया है। अतः विद्वान प्रकरण वकील प्रार्थी का विद्युत अध्य साईट रिजर्व रखते हुये वकील प्रार्थी द्वारा विड्रो करने से चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य होने से वकील प्रार्थी का विद्युत अध्य साईट रिजर्व रखते हुये जारी विड्रो प्रकरण खारिज किया जाता है। नियमानुसार फैसल सर डिजाल्व करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	Rohit प्रार्थी की ओर से Rehabal का Right रखते हुए withdraw करते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.21 15:02:55 IST
Reason: SelfAttested